# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना./स्था./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्री भोमाराम गोदारा, प्रधानाचार्य राजकीय चूनादेवी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, लालगढ जाटान, 8 एल.एल.जी जिला श्रीगंगानगर का स्थानान्तरण श्रीमती तुलसी बाई रतनचन्द राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इतन्दरा मेडतियान जिला पाली किया गया था जिसके विरूद्ध श्री भोमाराम गोदारा द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 15425/2019 भोमाराम गोदारा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 15425/2019 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 15.10.2019 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन याचिकार्थी श्री भोमाराम गोदारा के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया हैं।

अतः श्री भोमाराम गोदारा माननीय न्यायालय के उक्त आदेश की अनुपालना में राजकीय चूनादेवी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, लालगढ जाटान, 8 एल.एल.जी जिला श्रीगंगानगर में माननीय न्यायालय के आगामी/अन्तिम निर्णयाधीन पूर्ववत पदस्थापित रहेंगे एवं उनके स्थान पर स्थानान्तरित प्रधानाचार्य श्री इन्द्राज पाल यादव, का अन्तरिम समायोजन श्रीमती तुलसी बाई रतनचन्द राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इतन्दरा मेडतियान, जिला पाली मे प्रधानाचार्य के पद पर किया जाता है। उक्त समायोजन माननीय न्यायालय के आगामी/अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

**क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एसबीसिया/भोमाराम गोदारा/15425/2019 दिनांक** 18.10.19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर/पाली संभाग बीकानेर/पाली।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, श्रीगंगानगर/पाली।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, श्रीगंगानगर/पाली।
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, लालगढ़, श्रीगंगानगर को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

**संयुक्त निदेशक(कार्मिक)**